भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 945
दिनांक 22 जुलाई, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों के लिए समानीकृत पदनाम

945. श्री प्रताप सिम्हा:
श्री तेजस्वी सूर्या:
डॉ. जयरिद्देश्वर शिवाचार्य स्वामीजी:
श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:
डॉ. उमेश जी. जाधव:
श्री एस. मुनिस्वामी:
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) अस्पतालों में काम करने वाले उन गैर-शिक्षण विशेषज्ञ डॉक्टरों की विभाग-वार संख्या कितनी है जिन्हें आज की तिथि तक समानीकृत पदनाम नहीं मिला हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने गैर-शिक्षण विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सीएचएस अस्पताल में एक विभाग के विभागाध्यक्ष (एचओडी) बनने के लिए समानीकृत पदनाम की आवश्यकता के संबंध में एक अंतरिम आदेश जारी किया है और यदि हां, तो इस प्रकार के आदेश जारी करने के औचित्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अंतरिम आदेश को लागू करने के लिए अब तक बिना पदनाम वाले गैर-शिक्षण विशेषज्ञ डॉक्टरों को समानीकृत पदनाम का निर्बाध प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए सीएचएस अस्पताल स्तर और उनके विश्वविद्यालय स्तर पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में इस प्रकार का डाटा केंद्रीकृत रूप में नहीं रखा जाता है।

(ख): केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी और गैर- शिक्षण उप संवर्ग के डॉक्टरों से प्राप्त अभ्यवेदनों जिनमें उन्होंने शिक्षण पदनाम उद्धृत किए हैं, को देखते हुए इस मंत्रालय ने यह कहते हुए अनुदेश

जारी किए थे कि केंद्रीय सरकारी अस्पतालों/ संस्थानों में किसी विशिष्ट विभाग में विभागाध्यक्ष के पद के लिए अधिकारी की वरिष्ठता यथा लागू वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/ गैर- कार्यकारी चयन ग्रेड के स्तर पर आधारित होगी और इसका निर्धारण शिक्षण/ गैर- शिक्षण/ सामान्य ड्यूटी मेडिकल अधिकारी उप संवर्ग द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/ गैर- कार्यात्मक चयन ग्रेड लेवल में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख के आधार पर किया जाएगा, बशर्ते कि सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी एवं गैर- शिक्षण विशेषज्ञ को शिक्षण पदनाम के समतुल्य कर दिया गया हो।

(ग): समतुल्य शिक्षण पदनाम देना विश्वविद्यालय के दायरे में आता है।

*****